निविदा प्रलेख

क पृष्ठभूमि:

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था डीओईएसीसी सोसायटी, जिसे सूचना, इलैक्ट्रॉनिकी एवं संचार तकनीक के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास एवं उससे संबंधित कार्य सौंपा गया है, अनौपचारिक क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अच्छी किस्म की शिक्षा व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे पहले इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के नाम से जाना जाता था, एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रुप से शुरु की गई डीओईएसीसी योजना का कार्यान्व्यन कर रही है। इस योजना में निम्नलिखित चार स्तरों के पाठ्यक्रमों "ओ" स्तर - बुनियादी पाठ्यक्रम के समकक्ष, "ए" स्तर - अग्रिम डिप्लोमा स्तर के समकक्ष, "बी" स्तर - संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष एवं "सी" स्तर - तकनीकी में स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष परिकल्पित, का प्रावधान है।

इस योजना के अंतर्गत सोसायटी पाठ्यक्रमों का रुपांकन एवं नियमित अद्यतन करती है, अच्छी तरह परिभाषित मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए अपने संबंधित [समकक्ष] स्तर के पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन करती है, वर्ष में दो बार परीक्षायें आयोजित करती है तथा इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए छात्रों को प्रमाण-पत्र प्रदान करती है।

2 पूरे देश में 26 सथानों पर इसके अपने केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों/शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के रुप में डीओईएसीसी विद्यमान है, जबकि इसका मुख्यालय इलैक्ट्रॉनिकी निकेतन 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में स्थित है। सोसायटी के मुख्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए गाडियां, इस प्रयोजन के लिए पैनल में शामिल सेवा प्रदाताओं से किराये पर लेती है। वर्तमान सेवा प्रदाता लंबे समय से संबद्ध है तथा पिछले कुछ समय से अपनी दरों में संशोधन की मांग कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए सेवा प्रदाता को अपने पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से सोसायटी ने अब यह निविदा जारी करके कोटेशन मंगाने का निश्चय किया है। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान पैमाने पर सोसायटी द्वारा भाडे पर ली गयी गाडियों का वार्षिक बिल तकरीबन पंद्रह लाख रुपये होता है। इसमें विभिन्न श्रेणी/प्रकार के वाहन जो राजमर्रा की जरुरत के आधार पर बुक किये जाने वाले एवं एक इंडिगो/एस्टीम मासिक आधार पर ली जाने वाली गाडी शामिल है।

ख सामान्य शर्तें एवं नियम:

1 लिफाफे पर साफ शब्दों में **"भाडे पर मोटर गाडी लेने की संविदा"** उलिखित होना चाहिए।

2 सभी बोली बंद लिफाफे में जमा करानी हैं।

3 बोली दिनांक 7 जून 2011 सांयकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी तथा दिनांक 8 जून 2011 प्रातः 10:30 बजे उन सभी बोली लगाने वालों के सामने खोली जाएंगी जो उस वक्त उपस्थित रहने के इच्छुक हैं।

4 बंद लिफाफा जिसमें संविदाकार की बोली होगी, "उपनिदेशक प्रशासन, डीओईएसीसी सोसायटी, इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003", को संबोधित होना चाहिए तथा उनके कार्यालय में नियत तिथि व समय पर अथवा उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

5 देर से भेजी गई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

6 बोली के साथ बयाने की राशी के रुप में रुपए 25,000/- का भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट जो डीओईएसीसी, नई दिल्ली के पक्ष में हो, भी संलग्न होना चाहिए। बयाने की राशि के बिना प्राप्त हुई बोली को रद्द कर दिया जाएगा। यदि बोली लगाने वाली कामयाब एजंसी ने अनुबंध देने के 10 दिनों के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा की राशि जमा नहीं कराई तो बयाने की रकम सोसायटी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

7 अधूरी बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा।

8 बोली लगाने वाली कामयाब एजंसी को प्रदर्शन सुरक्षा राशि के रुप में अनुमानित कार्य मूल्य का पांच प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट/बैंक प्रत्याभूति के रुप में जमा करानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट/बैंक प्रत्याभूति, संविदाकार के पैनल में शामिल होने की तिथि से लेकर 14 महीनों तक मान्य होनी चाहिए। यदि बोली लगाने वाली एजंसी संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं कर पाई तो प्रदर्शन सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इस बाबत सोसायटी का निर्णय ही अंतिम होगा तथा वह एजंसी जिसे संविदा प्रदान की गई है, यह निर्णय मानने को बाध्य होगी।

9 दरों का लेखा जोखा परिशिष्ट 1 की रुपरेखा के अनुरुप ही वर्णित होना चाहिए। यदि परिशिष्ट 1 में दी गई रुपरेखा के अनुरुप दरें नहीं बताई गई हैं तो उस बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो वाहन उसने भाडे पर प्रदान किया है उसका बीमा कराया हुआ है तथा यदि कोई भी दावा इस बाबत होता है तो वह बोलीदाता एवं बीमा कंपनी का आपसी मामला होगा। यह सोसायटी वाहन के किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

11 सफल बोलीदाता द्वारा बताई गई दरें संविदा प्रदान करने के एक वर्ष तक मान्य होंगी तथा उन्हें आगे भी बढाया जा सकता है।

12 एजंसी के पास अपनी गाडी की कम समय में मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए और मरम्मत की अवधि के लिए उसी श्रेणी/स्तर का वाहन एजंसी द्वारा सोसायटी के कार्यालय में प्रतिस्थापित

करना होगा ताकि सोसायटी को अपना कार्य पूरा करने में किसी भी प्रकार की असुविधा/विघटन का सामना न करना पडे। यदि संविदाकार एवज के रुप में किसी दूसरे वाहन का इंतजाम दो घंटे के अंदर नहीं कर सका तो सोसायटी मासिक बिल में भी यथानुपात कटौती करने के अलावा रुपये 500/- प्रतिदिन के आधार पर जुर्माना लगाएगी।

13 सोसायटी बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है।

14 कामयाब बोलीदाता को वर्ष 2010-11 के नये मॉडल के वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। वाहन 25000 किलोमीटर से अधिक चले हुए नहीं होने चाहिए।

15 सोसायटी संविदाकार द्वारा प्रदत्त सेवा का भुगतान संतोषजनक सेवा प्राप्ति तथा मासिक बिल मिलने के पश्चात करेगी।

16 सोसायटी की ड्यूटी के दौरान पार्किंग शुल्क/यात्री कर इत्यादि, पर किया गया खर्च, सोसायटी द्वारा वहन् किया जाएगा।

17 संविदा को कोई भी पार्टी बिना किसी कारण बताए, दो महीने का नोटिस देकर, रद्द कर सकती है।

18 परिशिष्ट में उल्लिखित दरें साफ रुप से लिखी होनी चाहिए तथा उसपर किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का अधिलेखन किया गया है तो वह अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। वह बोली जिसपर सुधार कार्य किया गया है तथा उस कार्य को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया तो उस बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

19 चालक साक्षर, तहजीबदार, तर्जुबेकार तथा दिल्ली क्षेत्र की अच्छी खासी जानकारी रखने वाला होना चाहिए। उसका पिछला रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए।

20 कामयाब बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो चालक उसने मासिक आधार पर दिये गये वाहन के साथ तैनात किया है उसका पुलिस सत्यापन हो चुका है।

21 चालक को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहन कर रहना होगा।

22 यदि वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई तो उसे उसी वक्त बदलाव के लिए लौटा दिया जाएगा।

23 बोली भेजने वाली कंपनी को भ्रमण एवं यात्रा के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का तजुर्बा होना चाहिए और कम से कम अपने 25 वाहन [जिसमें से 5 वाहन एक वर्ष से कम पुराने हों] होने

चाहिए और वे कंपनी अथवा स्वत्वधारी के नाम पर होने चाहिए। मासिक आधार पर बुक किये गए वाहनों की तैनाती में बदलाव केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होगा। चूंकि इन वाहनों का प्रयोग सोसायटी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाएगा अतः संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोसायटी की ड्यूटी पर तैनात वाहन से संबंधित सभी जरुरी दस्तावेज जैसा कि, पंजिकरण प्रमाण-पत्र, बीमा संबंधी कागजात इत्यादि, लाइसेंस शुदा चालक को व्यक्तिगत संरक्षण में हों। जैसे ही संविदाकार को संविदा प्रदान की जाएगी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस सोसायटी को उन सभी चालकों का नाम व पता प्रदान करे जो वह इस कार्यालय में मासिक आधार पर दिये गये वाहन में तैनात करेगा। संविदाकार अथवा कंपनी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास दूरसंचार की सुविधा होनी चाहिए तथा चलिष्णु फोन भी होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में उसके साथ सीधा संपर्क बनाया जा सके। कंपनी के चालकों के पास भी चलिष्णु फोन होने चाहिए ताकि उनसे जब चाहें संपर्क किया जा सके।

24 यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह इस कार्यालय को, अल्पकालीन सूचना देने पर भी, जिस भी गाडी की आवश्यकता हो, उपलब्ध कराए। सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए।

25 यह कार्यालय जो भी वाहन कंपनी से लेगा वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं। अतः संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ले जाए जा सकें।

26 कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा तैनान किया गया वाहन एवं चालक अमूमन बदले ना जाएं।

27 इस कार्यालय का एक निरीक्षक समय समय पर कंपनी द्वारा प्रदत्त वाहन का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन सही हालत में मौजूद है। तथा इसके अपालन की स्थिति में रुपये 500/- का जुर्माना कंपनी को देना होगा।

28 यदि इस कार्यालय के दूरभाष द्वारा आदेश देने के बीस मिनट के भीतर वाहन गंतव्य तक नहीं पहुंचता है तो कंपनी को रुपये 50/- का जुर्माना प्रति 15 मिनट की देरी के हिसाब से देना होगा।

29 यदि कंपनी भागीदारी के अंतर्गत पंजीकृत है तो उसे "भागीदारी विलेख" की एक प्रति भी निविदा प्रलेख के साथ संलग्न करनी होगी। और यदि कंपनी समितियों के पंजीकरण अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है तो उसे निगमन का प्रमाण-पत्र भी निविदा प्रलेख के साथ संलग्न करना होगा।

30 कंपनी सेवाकर अथॉरिटी के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति, जिसमें 16 अंकों का नंबर हो, जमा करानी होगी।

31 **<u>बोली का मूल्यांकन:</u>**

इस संविदा के आधार पर केवल एक ही संविदाकार का चुनाव होगा। सबसे कम बोलीदाता सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो/एस्टीम गाडी [प्रति 2000 किलोमीटर तथा 240 घंटें] के मासिक दर को आधार माना जाएगा और उसे 20 प्रतिशत बल दिया जाएगा। हालांकि बोलीदाता को बाकी वाहनों के लिए भी मासिक आधार पर [2000 किलोमीटर तथा 240 घंटे] अलग से दरें अंकित करनी होंगी, किंतु उन दरों का बोली के मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं होगा। बाकी वाहनों के लिए प्रत्येक बोलीदाता को प्रतिदिन की बुकिंग के आधार पर उल्लिखित दरों को ध्यान में रखा जाएगा तथा उन्हें प्रत्येक वातानुकूलित/गैर-वातानुकूलित इंडिका/वैगन-आर/सैंत्रो/अंबैसेडर पर 15 प्रतिशत का बल दिया जाएगा। 15 प्रतिशत बल इंडिगो/एस्टीम, 20 प्रतिशत बल गैर वातानुकूलित क्वालिस/टवेरा/सूमो, 2 प्रतिशत बल वातानुकूलित क्वालिस/टवेरा/टाटा सूमो, 2 प्रतिशत बल असैंट/डीजाएअर/मांजा, 5 प्रतिशत एसएक्स4/हाँडा सिटी/इटीऑस, 1 प्रतिशत कौरोला/हाँडा सिविक तथा 5 प्रतिशत बल इन्नोवा/जाइलो के लिए दिया जाएगा। अतिरिक्त मीलदूरी/अतिरिक्त घंटा शुल्क वास्तविक आधार पर उन दरों पर दिया जाएगा जो परिशिष्ट 1 में दी गई हैं। बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह ईंधन की भरवाई नजदीक के पेट्रोल पंप से ही करवाए तथा इसके लिए होने वाले व्यय को अतिरिक्त मीलदूरी के अंतर्गत नहीं दर्शाया जाएगा। किसी भी प्रकार के कर अथवा उगाही का भुगतान सोसायटी द्वारा वास्तविक आधार पर किया जाएगा तथा उन दरों का उल्लेख तदनुसार होगा।

32 चालकों के पास कर्तव्य पर्ची का होना आवश्यक है जिस पर वाहन प्रयोग कर रहे इस कार्यालय के अधिकारी से हस्ताक्षरित/सत्यापित करायेंगे। इस प्रकार की कर्तव्य पर्चियों को संविदाकार मासिक बिल के साथ संलग्न करके इस कार्यालय में प्रेषित करेगा।

33 इस निविदा प्रलेख की प्रति, जिसपर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर हों, निर्धारित प्रफॉर्मा में बोली के साथ संलग्न करनी होगी जो इस बात का सबूत होगा कि बोलीदाता ने इस निविदा के नियम एवं शर्तों को मान लिया है।

34 प्रत्येक विवाद का निपटारा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

डीओईएसीसी सोसायटी

[सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था]

भाडे पर वाहन मुहैया कराने के लिए दरें उद्धृत करने का प्रफॉर्मा

पार्टी का नाम व पता: _____

_____

_____

विवरण	इंडिका / वैगन आर / सैंट्रो		इंडिगो / एस्टीम	ऐसंट / डीजाएअर /मांज़ा	एस एक्स 4 / हांडा सिटी / ईटोस	कॉरोला / हाँडा सिविक	इन्नोवा/ ज़ाइलो	टावेरा/ सूमो / क्वालिस	
	गैर वातानुकूलित	*वातानुकूलित*	*वातानुकूलित*	*वातानुकूलित*	*वातानुकूलित*	*वातानुकूलित*	*वातानुकूलित*	*गैर वातानुकूलित*	*वातानुकूलित*
80 कि मी एवं 8 घंटे									
40 कि मी एवं 4 घंटे									
40 किमी अथवा 80 कि मी जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त कि मी की दर									
8 घंटे के बाद प्रति घंटा दर									
बाहा् स्थान *क] प्रति किमी* *ख] कोई अन्य शुल्क*									
रात को रुकने की शुल्क [11:00 बजे के बाद]									
मासिक शुल्क: *क] 2000 किमी + 240 घंटे.*									
ख] अतिरिक्त किमी. *ग] अतिरिक्त घंटे.*									
कर									

1. *इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमने निविदा प्रलेख में उल्लिखित नियम एवं शर्तों की पढ़ लिया है और हम इन नियम एवं शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।*
2. *निविदा दस्तावेज़, जिसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ है, की एक प्रतिलिपि संलग्न है।*

हस्ताक्षर_____

तिथि:_____

नाम_____

पद्नाम_____

संस्था की मोहर